

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांक एफ 1(1)आ0प्र0एवंसहा/सामान्य/2019/9656-86

जयपुर, दिनांक 14.11.2019

जिला कलेक्टर,
अजमेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बाड़मेर, बारा,
बूंदी, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, डुंगरपुर, जैसलमेर,
झालावाड़, जोधपुर, कोटा, करौली, नागौर,
हनुमानगढ़, पाली, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर,
टोंक एवं उदयपुर राजस्थान।

विषय:—खरीफ फसल 2019 (संवत् 2076) में बाढ़ एवं सूखे से प्रभावित
किसानों को कृषि आदान अनुदान वितरण बाबत दिशा निर्देश।

महोदय,

राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के सहायता के मानदण्डों में बोई गई फसलों में 33 प्रतिशत या इससे अधिक का खराबा होने पर कृषि आदान अनुदान उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में प्रावधान है।

राज्य में नगरपरिषद/नगरपालिका चुनाव आचार संहिता प्रभाव में होने के कारण नगरपरिषद/नगरपालिका के प्रभावित काश्तकारों को चुनाव कार्य सम्पन्न होने के पश्चात ही कृषि आदान अनुदान वितरण किया जा सकेगा।

इस हेतु निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:—

1. जिला कलेक्टर द्वारा 33 प्रतिशत से 100 प्रतिशत खराबा वाले पात्र लघु सीमान्त (SMF) एवं अन्य (OSMF) काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जावेगी।
2. जिला कलेक्टरों द्वारा कृषि आदान अनुदान वितरण हेतु एस.डी.आर.एफ. के निर्धारित मापदण्डानुसार दिये जा रहे निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए सीधे ही पात्र काश्तकारों के बैंक खातों में ऑनलाईन (Online) जमा किया जायेगा।

3. कृषि आदान अनुदान वितरण हेतु समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है:—

जिला स्तरीय समिति:—जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा, जो कि जिले में इस कृषि आदान अनुदान वितरण के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगी। समिति में MDCCB, कृषि एवं लीड बैंक ऑफिसर्स व DLBCC के

अ.स.व.

मैम्बर्स होंगे। इस समिति के द्वारा इस कृषि आदान अनुदान वितरण के संबंध में सभी प्रकार के निर्णय/निर्देश एवं शिकायतों का निस्तारण किया जायेगा।

उपखण्ड स्तरीय उपसमिति:—उपखण्ड स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में कृषि व उपकोषाधिकारी को सम्मिलित करते हुये एक समिति का गठन किया जायेगा जो कि अपने क्षेत्र में इस कृषि आदान अनुदान वितरण के सुचारु क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी रहेगी।

ग्राम स्तरीय समिति:—इस समिति में सम्बन्धित गांव का पटवारी, ग्राम सेवक व कृषि पर्यवेक्षक सदस्य होंगे जो कि गांव में इस कृषि आदान अनुदान वितरण की क्रियान्विति के लिए उत्तरदायी होंगे।

4. कृषि आदान अनुदान सहायता के लिए जमाबन्दी एवं गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर दो हैक्टयर तक भूमि धारिता वाले काश्तकार एवं दो हैक्टयर से अधिक भूमि धारिता वाले काश्तकारों की 6 सूचियां पृथक्-पृथक् निम्न प्रारूप में तैयार की जाएंगी:—

कृषि आदान अनुदान हेतु पात्र कृषकों की सूची

ग्राम..... पटवार हल्का.....तहसील.....

लघु व सीमान्त कृषक/अन्य कृषक खराबा 33=50% से कम / 50=75% से कम / 75=100% से कम

क. सं.	कृषक का नाम	जमाबन्दी के आधार पर धारित कुल रकबा (हैक्ट. में)	गिरदावरी के आधार पर बोया गया कुल रकबा (हैक्ट. में)	बोये गये क्षेत्रफल में से रकबा खराबा (हैक्ट. में)	एसडीआरए फ/ एनडीआरएफ मानदण्डों के अनुरूप देय अनुदान	बैंक खाते का वितरण			अन्य विवरण		
						बैंक मय शाखा का नाम	IFSC Code	काश्तकार का बैंक खाता संख्या	भामाशाह कार्ड विवरण*	आधार कार्ड विवरण	मोबाईल नम्बर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

* वैकल्पिक

सहायता के लिये पात्र काश्तकारों की सूचना विभाग को निर्धारित प्रपत्र में प्रेषित की जायेगी तथा उन्हीं पात्र काश्तकारों को सहायता वितरित हो, यह सुनिश्चित किया जावे। सभी काश्तकारों के डेटा एकत्रित होने में लगने वाले समय को देखते हुए दिनांक 30.11.2019 तक एकत्रित डेटा के आधार पर विभागीय पोर्टल पर बजट मांग की जावे।

5. इस प्रयोजन हेतु उसे ही काश्तकार माना जावेगा, जिसका नाम जमाबंदी में खातेदारी/सहखातेदार के रूप में दर्ज होगा। सहखातेदार के हिस्से में आने वाले नोशनल हिस्से की गणना कर उसकी जोत (Holding) का आकार निकाला जावेगा। इसमें सभी काश्तकार के एक अथवा अधिक गांवों में विद्यमान सभी खातों को ध्यान में रखना होगा।

6. ऐसे कृषकों को भी कृषि आदान अनुदान दिया जा सकता है, जिनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है, किन्तु जिन्होंने भूमि पर ठेकेदारी/बाटेदारी से फसल की है। ऐसे किसान

अधिकार

जिन्होंने ठेकेपर फसल की है, वह बोर्ड गई भूमि के खातेदार से 5/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर सहमति प्राप्त कर तहसील स्तर पर गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार की समस्या के निर्णय हेतु सम्बन्धित तहसीलदार, ग्राम पटवारी तथा ग्राम सेवक की एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाए। यह समिति इस प्रकार के बिन्दुओं पर निर्णय लेकर निर्धारण करेगी कि राहत किसे दी जानी है। इसके लिए कृषक को अपने खातेदार की लिखित सहमति इस समिति को देनी होगी।

7. **खातेदार जिले से बाहर का निवासी होने के संबंध में:**— यदि जिले में स्थित किसी कृषि भूमि की बुवाई की गयी है तो उसमें प्रभावित कृषक को फसल खराबे पर अनुदान दिये जाने के लिए उस कृषक का उसी जिले का निवासी होना जरूरी नहीं है। परन्तु कृषक से यह शपथ पत्र लेना जरूरी है कि अन्य जिलों में उसकी कोई कृषि भूमि नहीं है। किन्तु अन्य जिले में कृषि भूमि होने की स्थिति में उसके आधार पर गणना कर, पात्र होने पर ही जिले में स्थित खराबा क्षेत्र के आधार पर अनुदान दिया जाना है।
8. **गैर खातेदारी के संबंध में:**—गैर खातेदार को भी खातेदार के समान ही अनुदान हेतु पात्र माना जावे।
9. **मृतक खातेदार:**—मृतक खातेदारों की भुगतान योग्य राशि का भुगतान उनके वैध उत्तराधिकारियों को किया जा सकता है। परन्तु यह राशि मृतक खातेदार के हिस्से के अनुरूप निर्धारित अनुदान के बराबर ही होगी।
10. **विवादित भूमि के संबंध में:**—कृषि आदान अनुदान राशि, आपदा से प्रभावितों को बोर्ड गई फसल में 33 प्रतिशत व इससे अधिक खराबे के कारण तात्कालिक सहायता के रूप में दी जाती है। इस अनुदान राशि दिये जाने में भूमि संबंधित विवाद में संबंधित पक्षकारों के विधिक अधिकारों पर विपरित प्रभाव नहीं होगा व मालिकाना हक का निर्धारण माननीय न्यायालय के निर्णय के अधधीन होगा।
11. **मन्दिर माफी भूमि:**—कृषि आदान अनुदान सहायता रिकॉर्डेड खातेदार के बैंक खाते में ऑनलाईन ही जमा करवाया जावे। यदि कोई ट्रस्ट बना हुआ है तो उसके खाते में कृषि आदान अनुदान राशि ऑनलाईन जमा करवाई जा सकती है।
12. **सरकारी सेवा में कार्यरत:**—व्यक्ति का नाम जमाबन्दी में खातेदारी/सहखातेदारी के मानदण्डानुसार दो हैक्टर तक जोत रखता है तो नियमानुसार कृषि आदान अनुदान का भुगतान किया जावेगा। काश्तकार की अन्य व्यवसाय से आय को अपात्रता का आधार नहीं बनाया जावेगा।
13. **बजट की मांग:**—जिला कलक्टर तहसीलदारों द्वारा अपनी तहसील के लिए काश्तकारों की वास्तविक संख्या सूची के अनुसार ही आवश्यक बजट की मांग किए जाने पर विभाग से बजट की ऑन लाइन मांग प्रेषित करेंगे एवं ऑनलाईन डिमांड में यह अंकित करेंगे कि “खसरा गिरदावरी के आधार पर आदान अनुदान के लिए तैयार की गई मूल पात्र किसानों की सूची के अनुसार ही ऑनलाईन बजट की मांग प्रस्तुत की गई है।” खसरा गिरदावरी प्रपत्र 7डी में

Digit

अंकित किसानों की संख्या से अधिक कृषकों को भुगतान नहीं किया जावे। जिला कलक्टर बजट की मांग किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवे कि प्रभावित काश्तकारों की तहसीलवार सूची एवं प्रभावित काश्तकारों के बैंक खातों का विवरण (Details) तहसील स्तर पर यथा सम्भव पूर्ण हो चुका है। उक्तानुसार मांग किए जाने पर आवश्यक बजट का आवंटन किया जावेगा।

14. **बैंक खाता:**—समस्त भुगतान बैंक खातों के माध्यम से ऑनलाईन ही किया जावेगा, नकद कोई भी भुगतान नहीं किया जायेगा। जिन काश्तकारों के वर्तमान में बैंक खाते नहीं हैं, उनके नये खाते बैंक के माध्यम से खुलवाने होंगे जिसमें राशि ऑनलाईन ट्रान्सफर की जा सके।

15. कृषकों के खातों में जमा की गई कृषि आदान अनुदान राशि की साप्ताहिक सूचना जिला कलक्टर राज्य सरकार को अवगत कराएंगे। भुगतान पूर्ण होने पर जिला कलक्टर व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (विस्तृत व्यय विवरण) राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे। साथ ही, अवशेष राशि (यदि कोई हो) राज्य सरकार को संबंधित बजट मद में समर्पित करेंगे।

क्र. सं.	कृषक का नाम	जमाबन्दी के आधार पर धारित कुल रकबा (हेक्ट. में)	गिरदावरी के आधार पर बोया गया कुल रकबा (हेक्ट. में)	बोये गये क्षेत्रफल में से रकबा खराबा (हेक्ट. में)	देय अनुदान (असिंचित फसल पर 6800/- प्रति है० बिजली के कुओं व नहरों से सिंचित 13500/- रुपये प्रति है०) (केवल सिंचित क्षेत्र हेतु न्यूनतम रुपये 1000/-)	बैंक खाते का वितरण			अन्य विवरण			भुगतान की गयी राशि
						बैंक मय शाखा का नाम	IFSC Code	काश्तकार का बैंक खाता संख्या	भामाशाह कार्ड विवरण*	आधार कार्ड विवरण	मोबाईल नम्बर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

* वैकल्पिक

अतः कृषि आदान अनुदान भुगतान की कार्यवाही 30 नवम्बर, 2019 तक पूर्ण करली जावें तथा 31 दिसम्बर, 2019 तक उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजना सुनिश्चित करेंगे।

यह सक्षम स्तर पर अनुमोदित है।

विहार् 14/11/19
शासन सचिव

प्रतिलिपि:-

1. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
2. जिला कलक्टर, अजमेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बाड़मेर, बांरा, चित्तोड़गढ़, धौलपुर, हनुमानगढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, जोधपुर, कोटा, करौली, नागौर, जैसलमेर, पाली, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर, टोंक एवं उदयपुर राजस्थान।
3. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, जयपुर, राजस्थान।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, जयपुर, राजस्थान।


संयुक्त शासन सचिव